राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

क्रमांक : राऋभमवि/अल/परीक्षा/2024/946 दिनांक : 04/01/2024

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर के नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा-2024 हेतु परीक्षा फार्म भरवाने सम्बन्धी विज्ञप्ति एवं दिशा-निर्देश

विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक राऋभमवि/अल/अकाद-I/2023/1009 दिनांक 04.08.2023 की अनुपालना में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर से सम्बद्ध महाविद्यालयों के निम्नांकित पाठ्यक्रमों के समस्त परीक्षार्थियों की मुख्य परीक्षा-2024 के आवेदन पत्र वेबसाईट www.univindia.org पर ऑनलाईन माध्यम से भरने हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम घोषित किया जाता है :

पाठ्यक्रम	बिना विलम्ब शुल्क	विलम्ब शुल्क रू. 100/-सहित	विलम्ब शुल्क रू. 500/-सहित	विलम्ब शुल्क रू. 1000/-सहित
बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम. (पास/आनर्स कोर्स) पार्ट-I नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी	06.01.2024 से 20.01.2024	21.01.2024 से 23.01.2024	24.01.2024 से 25.01.2024	परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 07 दिवस पूर्व तक

नोट : स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की वार्षिक पद्धति की परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने हेतु शीघ्र ही पृथक से विज्ञप्ति जारी की जावेगी।

सामान्य निर्देश

1. नियमित विद्यार्थियों को सेमेस्टर के अन्त में परीक्षा (EoSE) में पात्रता हेतु सतत् मूल्यांकन में न्यूनतम सी-ग्रेड (C-Grade) न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक एवं न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।
2. गत परीक्षा-2023 में स्नातक प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण रहे सभी विद्यार्थियों (Ex-Students & Non Collegiate) की परीक्षाएं सेमेस्टर प्रणाली के अनुरूप ही आयोजित होंगी। पूर्व छात्रों का आन्तरिक मूल्यांकन नहीं होगा, उनकी सेमेस्टर परीक्षाओं का अंक निर्धारण स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की तर्ज पर किया जाएगा।

1. **सभी परीक्षार्थियों को आवेदन पत्र भरने हेतु ABC ID आवश्यक है।** अतः विद्यार्थी परीक्षा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर स्वयं का मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई.डी., आधार नम्बर व ABC ID दर्ज करें।
2. परीक्षा विज्ञप्ति एवं दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय वेबसाईट www.rrbmuniv.ac.in पर उपलब्ध है। सेमेस्टर परीक्षा सम्बन्धी कतिपय नियमों के लिए संलग्नक **'सेमेस्टर प्रणाली आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा'** का अवलोकन करें।
3. परीक्षा शुल्क की अदायगी ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में निर्दिष्ट ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ही करनी होगी। शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान एक बार किये जाने के पश्चात पुनः भुगतान, 24 घण्टे की समयावधि में पोर्टल पर Payment Verify करने पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में ही किया जावें। विश्वविद्यालय में जमा परीक्षा शुल्क वापस (Refund) नही होगा।
4. परीक्षार्थियों द्वारा डाक से प्रेषित परीक्षा फार्मो को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः निर्धारित समय में सम्बन्धित महाविद्यालय में ही परीक्षा फार्म जमा करायें। महाविद्यालयों द्वारा अग्रेषित परीक्षा फार्म ही स्वीकार होंगे।
5. स्नातकोत्तर (भूगोल) एवं स्नातक (कला/विज्ञान) परीक्षा में जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय का चयन किया है/करेंगे, उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण लेना अनिवार्य हैं। इस सम्बद्ध में शीघ्र ही सूचना जारी होगी। तत्पश्चात् प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित महाविद्यालयों में सम्पर्क करें। अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। स्नातक/स्नातकोत्तर में प्रायोगिक विषयों का चयन करने वाले स्वयंपाठी विद्यार्थियों से प्रति विषय अनुसार निर्धारित प्रायोगिक प्रशिक्षण शुल्क आवेदन पत्र के साथ ही ऑनलाईन जमा कराया जावेगा।
6. परीक्षार्थी आवेदन पत्र निर्देशों को भली-भांति पढकर ही भरें। यदि परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार नहीं भरा जाता है तो आवेदन पत्र/परीक्षा निरस्त होने के लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

7. परीक्षार्थी ध्यान रखे कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त समझे जाएगें।
8. ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से उत्तीर्ण की है वे अपनी अंकतालिका की सत्यापित कॉपी ऑनलाईन परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें। राजस्थान बोर्ड/राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के अतिरिक्त परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपना मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेशन) एवं मूल अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करें।
9. परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र की सूचना उनके परीक्षा प्रवेश-पत्र में उपलब्ध करायी जायेगी।
10. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात निर्धारित समय सीमा मे परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी संबधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते है, उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
11. सम्बन्धित महाविद्यालय नामांकन/परीक्षा फार्मों की हार्ड कॉपी को पोर्टल पर वैरिफाई कर उनकी सूची का प्रिन्ट पोर्टल से लेकर उसी सूची के अनुरूप परीक्षा फार्मों को संकाय/कक्षावार फार्म संख्या के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। नामांकन फार्मों को मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (माईग्रेशन) एवं अंकतालिकाओं के साथ सूची सहित विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाये।
12. **परीक्षा फार्म जमा करने सम्बन्धी निर्देश :-**

(i) नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फार्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित महाविद्यालय जिसके वे नियमित परीक्षार्थी हैं वहाँ पर जमा करवायें।

(ii) पूर्व परीक्षार्थी (Ex-Student) परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करवायें, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे, परन्तु ऐसे महाविद्यालय जो बंद हो चुके है, उनके पूर्व परीक्षार्थी निकटवर्ती राजकीय महाविद्यालयों में परीक्षा फार्म जमा करवा सकेंगे। संबंधित महाविद्यालय ऐसे छात्रों की पृथक से सूची तैयार कर परीक्षा फार्म के साथ विश्वविद्यालय को भेजें।

(iii) स्वयंपाठी परीक्षार्थी अपने परीक्षा आवेदन पत्र को परीक्षा फार्म पर अंकित महाविद्यालय में जमा करायें।

स्नातक प्रथम वर्ष के नियमित, पूर्व एवं स्वयंपाठी (सेमेस्टर पद्धति) परीक्षार्थियों के परीक्षा-2024 हेतु परीक्षा शुल्क निम्नानुसार है :-

स्नातक स्तर (UG) की सेमेस्टर परीक्षा-2024 के लिए परीक्षा शुल्क

S. No.	Name of Examination	Category of Students		
		Regular	Ex-Students	Non-Collegiate
1.	Student already enrolled B.A./B.Sc./B.Com. (Pass/Hons.) Part-I	₹ 1450/-	₹ 1970/-	₹ 2530/-
2.	Student not enrolled B.A./B.Sc./B.Com.(Pass/Hons.) Part-I	Raj. Board Students		
		₹ 1790/-	-	₹ 2870/-
		Non Raj. Board Students		
		₹ 2130/-	-	₹ 3210/-
3.	Physically Challenged Students of Above All Categories	₹ 730/-	₹ 830/-	₹ 1180/-

स्नातकोत्तर स्तर (PG) की सेमेस्टर परीक्षा-2024 के लिए परीक्षा शुल्क

(केवल विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पी.जी. कक्षाओं में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)

S. No.	Name of Examination	Category of Students	
		Regular	Ex-Students
1.	Student already enrolled M.A./M.Sc.(Previous)	₹ 1870/-	₹ 2340/-
2.	Student not enrolled M.A./M.Sc.(Previous)	₹ 2550/-	-
3.	Physically Challenged Students of Above All Categories	₹ 730/-	₹ 830/-

नोट :- उक्तानुसार परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त निम्नानुसार शुल्क पृथक से देय होगा :

I. **प्रायोगिक परीक्षा शुल्क** रू. 170/- प्रति प्रश्न-पत्र नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों द्वारा देय होगा।

II. **प्रायोगिक प्रशिक्षण शुल्क** विज्ञान संकाय हेतु रू. 1500/- प्रति विषय एवं विज्ञान संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय हेतु रू. 1000/- प्रति विषय (प्रथम एवं द्वितीय दोनों सेमेस्टर हेतु) स्नातक स्तर के स्वयंपाठी परीक्षार्थियों द्वारा देय होगा।

III. **विकास शुल्क** रू. 50/- तथा **स्पोर्ट्स बोर्ड शुल्क** रू. 50/- प्रत्येक नियमित परीक्षार्थी द्वारा देय होगा।

13. शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर (स्थाई/आंशिक) छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध मे कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जो कि चिकित्सा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित हो, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। अन्यथा सामान्य निर्धारित शुल्क देय होगा।

14. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थियों से नही लिया जावें।

15. छात्र सुविधा हेतु हेल्पलाईन नम्बर 9672612656 पर सम्पर्क कर सकते है।

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : राऋभमवि/अल/परीक्षा/2024/946-54 **दिनांक : 04/01/2024**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. (i) समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि नियमित, पूर्वछात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म महाविद्यालय पोर्टल से प्राप्त सूची के अनुसार सही है एवं परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न है। निर्धारित परीक्षा शुल्क का विवरण दिशा-निर्देश में अंकित है जो विश्वविद्यालय वेबसाईट www.rrbmuniv.ac.in पर उपलब्ध है। **विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में कृपया परीक्षा केन्द्र/महाविद्यालय कोड/मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित करें।**

(ii) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पार्ट प्रथम एवं स्नातकोतर पूर्वार्द्ध कक्षाओं हेतु आवंटित सीटों पर आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ-पत्र संबंधित प्राचार्यों द्वारा परीक्षा फार्मों के साथ संलग्न करना होगा।

(iii) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, यह सम्बन्धित महाविद्यालय प्राचार्य सुनिश्चित कर लें। इस सम्बन्ध में किसी भी अनियमितता के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय जिम्मेदार रहेंगे।

(iv) पूर्व की भांति केवल स्वयंपाठी छात्रों हेतु ही उनके परीक्षा फार्म अग्रेषण का शुल्क रू. 8/- प्रति छात्र सम्बन्धित महाविद्यालयों को देय होगा।

2. आई.टी. प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।

3. वित्त नियंत्रक को प्रेषित कर लेख है कि वे यह सुनिश्चित करने का श्रम करे कि परीक्षा-2024 हेतु बैंक गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खातों में जमा करवा दी गई है एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconcile करने का श्रम करें।

4. मीडिया प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार अलवर जिले में प्रकाशित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों (राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर) में एक बार प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।

5. प्रबन्धक, सम्बन्धित बैंक, अलवर।

6. निजी सचिव, माननीय कुलपति/कुलसचिव/निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक।

7. समस्त अनुभाग/विभाग, परीक्षा गोपनीय अनुभाग/अकादमिक-I व II/सेलर, परीक्षा विविध, रिकार्ड शाखा, रोकड शाखा।

8. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

परीक्षा नियंत्रक

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर

(अस्थाई कार्यालय : महिला छात्रावास भवन, बाबूशोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर)

☎ Phone : 0144-2730321, 2730327, 2980046 FAX : 0144-2730321

Website : www.rrbmuniv.ac.in

क्रमांक– रात्रृभमवि / अल / परीक्षा / 2023 / 897 दिनांक– 5/12/2023

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप सेमेस्टर प्रणाली आधारित स्नातक पाठ्क्रमों की रूपरेखा

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रमों एवं क्रेडिट रूपरेखा के अनुरूप सत्र 2023–24 से राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर के कला / वाणिज्य / विज्ञान / ललित कला / सामाजिक विज्ञान संकाय से संबंधित समस्त स्नातक पाठ्क्रमों में सेमेस्टर प्रणाली प्रारम्भ की गयी है।

2. सेमेस्टर प्रणाली में स्नातक पाठ्यक्रम तीन / चार वर्षो का होगा।

3. प्रत्येक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे। छात्रों की विषम सेमेस्टर (अर्थात प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्तम) की परीक्षा दिसम्बर माह में तथा सम सेमेस्टर (द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम तथा अष्ठम) की परीक्षा मई माह में आयोजित होगी।

4. (I) स्नातक पासकोर्स पाठ्यक्रम B.A./B.Com/B.Sc. में प्रत्येक विद्यार्थी को तीन मुख्य विषयों (Major Subject) का चयन करना होगा। प्रत्येक मुख्य विषय के एक प्रश्न पत्र की परीक्षा आयोजित की जायेगी। मुख्य विषय के अुनसार केवल सैद्धान्तिक परीक्षा या सैद्धान्तिक + प्रायोगिक दोनों परीक्षा होगी।
(II) स्नातक ऑनर्स पाठ्यक्रम B.A. (Hons.)/B.Com. (Hons.)/B.Sc. (Hons) में मुख्य ऑनर्स के प्रत्येक विषय के दो प्रश्न पत्र होंगे तथा तीसरा प्रश्न पत्र मुख्य आनर्स से भिन्न / अन्य विषय का प्रश्न पत्र का चयन करना होगा।
उदाहरण स्वरूप यदि विद्यार्थी B.A. (Hons.) मे राजनीति विज्ञान विषय का चयन करता है तो स्नातक कार्यक्रम B.A. (Pol.Sc.) कहलायेगा। इस कार्यक्रम में राजनीति विज्ञान विषय के दो पेपर होंगे तथा तीसरा प्रश्न–पत्र राजनीति विज्ञान विषय से भिन्न / अन्य विषय के प्रश्न–पत्र होगा।

5. मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में योग्यता वृद्धि पाठ्क्रम (AEC) के अन्तर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा देनी होगी। इसी प्रकार प्रथम वर्ष के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी मुल्य वर्धित पाठ्यक्रम (VAC) तथा कौशल वर्धित पाठ्यक्रम (SEC) की सूची में से पाठ्क्रमानुसार प्रत्येक सेमेस्टर में एक–एक विषय का अध्ययन करना होगा।
जिसे निम्न सारणी द्वारा समझा जा सकता है:–

	मुख्य विषय 1	मुख्य विषय 2	मुख्य विषय 3	योग्यता वर्धित कार्यक्रम	मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (चयनित एक विषय)	कौशल वृद्धि प्राप्तांक (चयनित एक विषय)	कुल
क्रेडिट	6 या 4(सैद्धा)+2(प्रा)	6 या 4(सैद्धा)+2(प्रा)	6 या 4(सैद्धा)+2(प्रा)	हिन्दी (2) अंग्रेजी (2)	2	2	26
अंक	150 या 100(सैद्धा)+ 50(प्रा)	150 या 100(सैद्धा) +50(प्रा)	150 या 100(सैद्धा) +50(प्रा)	हिन्दी (50) अंग्रेजी (50)	50	50	650

नोटः–

(I) जिन महाविद्यालयों में NCC तथा NSS उपलब्ध है उन महाविद्यालयों के छात्र मुल्य वर्धित पाठ्यक्रम (VAC) के रुप मे NCC तथा NSS का चयन कर सकते है। NCC तथा NSS पाठ्यक्रम मे चयन महाविद्यालय मे उपलब्ध सीटों तथा सम्बंधित regulatory bodies के नियमानुसार होगा।

(II) स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा आवेदन भरने की अनुमति नहीं हैः– टैक्सटाईल क्राफ्ट, इन्वेस्टिगेटिव बायोटेक्नोलॉजी, शीप एवं वूल, लाइव स्टॉक एण्ड डेयरिंग, टैक्सटाईल, ड्राईंग एण्ड पेंटिंग, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एण्ड देयर यूटीलाईजेशन, रूरल डवलपमेन्ट, सिन्धी, फ्रेन्च, जर्मन, रशियन, फिजीकल एज्यूकेशन, ड्रामेटिक्स, जियोलॉजी एण्ड माइनिंग, एन्थ्रोपॉलोजी, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा मॉस कम्यूनिकेशन, NCC, NSS तथा आनन्दम प्रोग्राम इत्यादि।

6. **प्रत्येक विषयों/प्रश्न पत्रों में क्रेडिट हासिल करने के लिए विद्यार्थी को न्यूनतम सी–ग्रेड (40 प्रतिशत) अंक हासिल करने होंगे।**

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में छात्रों की प्रगति का आंकलन एवं शैक्षिक विकास के लिए निरन्तर मूल्यांकन को लागू किया गया है। अतः नियमित छात्रों के लिए सेमेस्टर ग्रेड पोइन्ट एवरेज (SGPA) में प्रत्येक पाठ्क्रम के दो घटक है– सतत मूल्यांकन (CA) (20 प्रतिशत भार) तथा सेमेस्टर के अंत में परीक्षा (EoSE) (80 प्रतिशत भार)

8. स्वयंपाठी छात्रों के लिए सतत मूल्यांकन (CA) (20 प्रतिशत भार) नहीं होगा अर्थात सेमेस्टर के अंत में परीक्षा (EoSE) (100 प्रतिशत भार) की होगी।

9. नियमित छात्रों को पाठ्यक्रम के सेमेस्टर के अन्त में परीक्षा (EoSE) में पात्रता हासिल करने के लिए विद्यार्थी को सतत मूल्यांकन में न्यूनतम सी–ग्रेड (C-GRADE) (40 प्रतिशत) अंक तथा न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति हासिल करना आवश्यक होगा।

10. सतत मूल्यांकन (CA) के तीन घटक है :
    (I) मध्यावधि परीक्षा (सतत् मूल्यांकन अंको का 50 प्रतिशत भार)
    (II) असाईनमेन्ट/परियोजना कार्य/अन्य गतिविधियॉ (सतत् मूल्यांकन अंको का 25 प्रतिशत भार)
    (III) उपस्थिति (सतत् मूल्यांकन अंको का 25 प्रतिशत भार)

11. विषम सेमेस्टर (प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम) से सम सेमेस्टर (द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम) में सभी विद्यार्थियों का उन्नयन (Promotion) किया जायेगा।

12. वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में पदौन्नति के लिए पिछले वर्ष के सभी निर्धारित पाठ्यक्रमों को न्यूनतम 'सी' ग्रेड (40 प्रतिशत) के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

13. यदि प्रथम वर्ष में छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट की न्यूनतम संख्या 48 से कम है तो पहले वर्ष में न्यूनतम 18 क्रेडिट (मुख्य विषयों में कुल क्रेडिट 36 का 50प्रतिशत) और न्यूनतम 26 क्रेडिट (कुल क्रेडिट 52 का 50 प्रतिशत) अर्जित करने पर "बैक प्रमोशन (Back Promoted)" टिप्पणी के साथ पदौन्नत किया जाएगा। अपने दूसरे वर्ष में वह पहले और दूसरे सेमेस्टर के प्रासंगिक विषयों में उपस्थित होकर फिर से आवश्यक क्रेडिट अर्जित कर सकता है। अन्यथा "छात्र प्रमोट नहीं किया गया (Not Promoted)" टिप्पणी के साथ पूर्व छात्र (Ex-Student) होगा।

14. किसी भी वर्ष छात्र पिछले वर्ष के किसी एक सेमेस्टर की सभी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकता है।

15. **पाठ्यक्रम से निकास एवं प्रवेश की नीति–**
    राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत विद्यार्थी के पास किसी पाठ्यक्रम से एकाधिक निकास एवं प्रवेश की सुविधा निम्न प्रकार प्रदान की गई हैः–

(I) जो छात्र **प्रथम वर्ष** के पूरा होने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हेतु प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित 52 क्रेडिट में से न्यूनतम 48 क्रेडिट प्राप्त होने व गर्मी की छुटि्टयों में 04 क्रेडिट की इंटर्नशिप पूरा करना होगा तथा ऐसे विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) दिया जाएगा।

(II) जो छात्र **द्वितीय वर्ष** पूरा होने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हेतु प्रथम व द्वितीय वर्ष के लिए निर्धारित कुल 104 क्रेडिट में से न्यूनतम 96 क्रेडिट प्राप्त होने व गर्मी की छुटि्टयों में 04 क्रेडिट की इंटर्नशिप पूरा करना होगा तथा ऐसे विद्यार्थियों को डिप्लोमा दिया जाएगा।

(III) जो छात्र **तृतीय वर्ष** पूरा होने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए निर्धारित कुल 150 क्रेडिट से न्यूनतम 146 क्रेडिट प्राप्त होने व गर्मी की छुटि्टयों में 04 क्रेडिट की इंटर्नशिप पूरा करना होगा तथा ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक डिग्री प्रदान की जायेगी।

(IV) जो छात्र **चतुर्थ वर्ष** पूरा होने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हेतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष के लिए निर्धारित कुल 200 क्रेडिट से न्यूनतम 196 क्रेडिट प्राप्त होने व गर्मी की छुटि्टयों में 04 क्रेडिट की इंटर्नशिप पूरा करना होगा तथा ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक ऑनर्स डिग्री प्रदान की जायेगी।

(V) प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में पाठ्यक्रम से बाहर निकलने वाले छात्र तीन साल के अन्तराल में स्नातक पाठ्यक्रम के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष में पुनः प्रवेश ले सकेंगे किन्तु अधिकतम सात वर्ष की अवधि में स्नातक पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा।

16. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप सेमेस्टर प्रणाली के समस्त पाठ्यक्रम के सभी विद्यार्थियों को 04 क्रेडिट की इन्टर्नशिप पूरी करनी अनिवार्य होगी। इन्टर्नशिप को विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी इन्टर्नशिप से सम्बन्धित दिशा–निर्देशानुसार पूरी करने की जिम्मेदारी पूर्णरूप से विद्यार्थी की होगी। विद्यार्थी को इन्टर्नशिप प्रथम वर्ष से तृतीय वर्ष के मध्य गर्मी की छुटि्टयों में कभी भी पूरी करनी होगी।